न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
22/2017	2017/00041	22.11.2017	26.03.2021

श्रीमती संतोष बाई पत्नि ओमप्रकाश सिकलीघर निवासी रठांजना तहसील प्रतापगढ़

– अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. श्री सालगराम पिता धुरा जाति मालवीय निवासी रठांजना तहसील प्रतापगढ़
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत रठांजना

– विपक्षी

अपील अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति :–
श्री गोपाल कुमावत अधिवक्ता
श्री रामचन्द्र मालवीय अधिवक्ता

–: आदेश :–

दिनांक :– 26.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/अपीलान्ट निगरानीकार द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत प्रत्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रठांजना की आबादी भूमि आराजी संख्या 1276 मी रकबा 9.14 है. में से 1.00 है. किस्म आबादी दर्ज भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत रठांजना के प्रस्ताव/संकल्प संख्या 25 दिनांक 20.12.13 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (श्री सालगराम पुत्र धुराजी मालवीय) निवासी रठांजना के नाम पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) प्रारूप–23(क) अन्तर्गत जरिये पट्टा कमांक 23 दिनांक 20.12.2013 से 40 x 25 = 1000 वर्गफीट भूमि का आवासीय भूखण्ड पट्टा जारी कर दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटित भूमि (भूखण्ड) पट्टाकृत भूमि का कब्जा एवं मालिकाना अधिकार वर्ष 1985 से ही निगरानीकार/प्रार्थिया के पास होकर उक्त भू–खण्ड पर प्रार्थिया द्वारा कच्ची झोपडी बनाकर निवास करती चली आ रही है तथा मौके पर 3–3 फीट उंची बाउण्ड्री भी बना रखी है, प्रार्थिया एक घुमक्कड जाति संवर्ग की सदस्या होकर अपनी रोजी–रोटी के लिए सदैव ईधर–उधर जाती जाती रहती है तथा

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

बाकी समय में अपनी झोंपडी में निवासी करती है जिसके चलते वर्ष 1985 के दौरान ग्राम पंचायत रठांजना द्वारा जरिये पट्टा संख्या 222 प्रारूप (ख) में प्रार्थिया/निगरानीकार के भूमिहीन आर्थिक कमजोर वर्ग की सदस्या होने से 30 x 30 = 900 वर्गफीट का पट्टा भी दिनांक 10.08.1985 को जारी किया था।

किन्तु प्रार्थिया/निगरानीकार के कब्जे आवास के उक्त भू–खण्ड का पुनः एक पट्टा विपक्षी के पक्ष में जरिये पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.12.2013 को जारी किया गया जो काबिले निरस्त योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किए गये जिनकी बाद सम्मन तामिल रिपोर्ट विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र जी मालवीय द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर जवाब निगरानी एवं अन्य साक्ष्य दस्तावेज दिनांक 24.09.2018 को प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रस्तुत जवाब विपक्षी के अनुसार प्रकरण में विवादित पट्टाकृत भू–खण्ड संख्या 28 दिनांक 20.12.2013 का विगत कई वर्षों से कब्जा एवं उपयोग–उपभोग आवंटी/विपक्षी द्वारा ही किया जा रहा था जिसके चलते राजस्व ग्राम रठांजना की आबादी में दर्ज भूमि संख्या 1276 मीन रकबा 9.14 है. किस्म चरागाह में से 1.00 है. भूमि जिला कलक्टर चित्तौडगढ़ के आदेश से जरिये नामान्तकरण संख्या 747 आराजी संख्या 1276/1268 रकबा 1.00 है. किस्म आबादी ग्राम पंचायत रठांजना के नाम दर्ज की गई उक्त आबादी दर्ज भूमि में विपक्षी को जारी पट्टा वैधानिक है तथा प्रार्थिया/निगरानीकार द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अन्य पट्टा विलेख कमांक 222 दिनांक 10.08.1985 अविधिक है क्योंकि वर्ष 1985 के दौरान उक्त भूमि किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड रहते हुए उक्त भूमि का आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाना संभव नहीं रहा है। इस संबंध में विपक्षी/आवंटी द्वारा जरिये सूचना का अधिकार ग्राम पंचायत रठांजना से प्राप्त सूचना दिनांक 21.10.2017 के अनुसार प्रार्थिया/निगरानीकार के पक्ष में जारी विवादित पट्टा कमांक 222 दिनांक 10.08.1985 के संबंध में ग्राम कार्यालय रठांजना हाजा स्तर पर कोई रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है तथा प्रकरण की प्रार्थिया/निगरानीकार द्वारा वर्ष 1985 में जारी विवादित पट्टा विलेख के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध एक दीवानी वाद प्रकरण संख्या 47/2017 भी माननीय सिविल न्यायाधीश प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2019 के वाद विरूद्ध विपक्षी सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जा चुका है तथा उक्त निर्णित वाद में प्रस्तुत मौका कमीश्नर रिपोर्ट 23.09.2017 के अनुसार भी मौके पर प्रार्थिया का कब्जा नहीं होकर आवंटी/विपक्षी का निरन्तर कब्जा एवं आवंटित भू–खण्ड की भूमि का आवासीय एवं कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लिया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः निगरानी निगरानीकार खारीज योग्य होना बताया।

प्रकरण में निगरानीकार द्वारा अपील निगरानी के समर्थन में लिखित बहस दिनांक 08.07.2019 को प्रस्तुत की गई उक्त कम में विपक्षी/आवंटी की ओर से जवाब लिखित बहस दिनांक 22.07.2019 को रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में बहस अन्तिम उभयपक्ष दिनांक 19.02.2021 को सुनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों दिनांक 23.10.2017 एवं लिखित बहस दिनांक 08.07.2019 में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थिया/निगरानीकार एक गरीब घुमक्कड़ जाति की सदस्या है जिसके स्थाई निवास स्थान हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थिया/निगरानीकार की वर्ष 1985 से पूर्व बनी झोंपडी एवं 3 फीट बाउन्ड्रीवाल के नियमितिकरण हेतु जरिये निःशुल्क पट्टा संख्या 222 दिनांक 10.08.1985 को जारी किया गया था जो आज भी सनद है तथा उक्त भू–खण्ड भूमि पर प्रार्थिया/निगरानीकार के आए दिन रोजी रोटी की तलाश में ईधर–उधर आए जाए अर्थात् नियमित मौके पर नहीं मिलने के चलते विपक्षी द्वारा उक्त भूखण्ड पर अवैधानिक कब्जा स्थापित कर विवादित पट्टा विलेख कमांक 23 दिनांक 20.12.2013 को प्राप्त कर लिया है जो काबिले निरस्त योग्य है।

इसी प्रकम में उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब निगरानी मेमों दिनांक 24.09.2018 एवं जवाब लिखित बहस दिनांक 22.07.2019 में वर्णित कथनों तथा संलग्न निर्णय प्रति सिविल प्रकरण संख्या 47/2017 निर्णय दिनांक 23.12.2019 एवं मौका कमीशन रिपोर्ट दिनांक 23.09.2017 तथा ग्राम पंचायत जवाब सूचना दिनांक 21.10.2017 के हवालों से अवगत कराया कि प्रार्थिया/निगरानीकार द्वारा विपक्षी को अन्यथा परेशान करने एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नियत से विपक्षी के विरूद्ध सिविलवाद एवं निगरानी पट्टा निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है जबकि निगरानीकार के पक्ष में किसी भी प्रकार का सुविधा–सन्तुलन स्थापित नहीं होता है। अतः प्रस्तुत निगरानी मय हर्जे खर्चे 3000 /– रू. विपक्षी को प्रदान कराने के आदेश सहित खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड निगरानी मेमों दिनांक 23.10.2017, जवाब निगरानी दिनांक 24.09.2018, लिखित बहस दिनांक 08.07.2019, जवाब लिखित बहस दिनांक 22.07.2019, मौका कमीश्नर रिपोर्ट सिविल प्रकरण संख्या 47/2017 दिनांक 23.09.2017 निर्णय दिनांक 23.12.2019, सूचना जवाब ग्राम पंचायत 21.10.2017, पट्टा विलेख संख्या 222 दिनांक 10.08.1985, पट्टा विलेख संख्या 23 दिनांक 20.12.2013, नकल जमाबंदी संवत् 2060–63 के साथ पत्रावली पर उपलब्ध अन्य रिकार्ड दस्तावेज एवं प्रचलित लागु विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकार/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज पट्टा विलेख संख्या 222 दिनांक 10.08.1985 का ग्राम पंचायत सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.10.2017 के अनुसार उक्त पट्टे संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना तथा निगरानी में उल्लेखित कथनों अनुसार प्रार्थिया निगरानीकार का विवादित भू–खण्ड भूमि पर नियमित कब्जा–उपभोग नहीं होने की पुष्टि मोका कमीश्नर रिपोर्ट रिपोर्ट दिनांक 23.09.2017 से होती है तथा प्रार्थिया/निगरानीकार द्वारा माननीय विमिन्न न्यायाधीश (क.ख.) प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत सिविल वाद प्रकरण संख्या 47/2017 निर्णय/डिक्री दिनांक 23.12.2019 को खारीज हो जाना तथा विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांक 23. दिनांक 20.12.2013 क अनुसार मौका कमीशन रिपोर्ट दिनांक 23.09.2017 से विपक्षी का निरन्तर कब्जा होना साबित होता है तथा विपक्षी को जारी पट्टा कमांक 23 में प्रस्तावित भूमि वर्ष 2004 के दौरान जरिये नामान्तरकरण संख्या 747 से आराजी संख्या 1276/1268 रकबा 1.00 है. किस्म आबादी का भाग होकर जारी पट्टा आक्षेप विहिन प्रतीत होता है जबकि प्रार्थिया/निगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांक 10.08.1985 के दौरान उक्त भूमि किस्म चरनोट दर्ज रहते हुए ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा पट्टा जारी किया संभव नहीं रहा है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एवं उपलब्ध साक्ष्य–रिकार्ड कथन विपक्षी के पक्ष में निर्विरोध साबित होते है जिससे प्रस्तुत निगरानी खारीज योग्य है।

अतः निगरानी निगरानीकार खारीज की जाती है तथा प्रकरण में वर्णित विवादित पट्टा कमांक 222 दिनांक 10.08.1985 को शुन्य करार घोषित करते हुए आक्षेपित पट्टा कमांक 23 दिनांक 20.12.2013 को यथावत् बहाल रखा जाता है खर्चा–पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को सरे ईजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner